

## प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि                    |
|---------|--|---------------|-----------------------------------|
| 1       | 2  | 3             | 4                                 |
| 1       | सुनील कुमार सुमन<br>पिता-रामचन्द्र सिंह<br>ग्राम-पो0-केसावे<br>थाना-बरौनी पी0एस0<br>जिला-बेगुसराय<br>केसफाइलनं0-सीएम/26806         | कैंसर रोग     | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार ) स्वीकृत। |
| 2       | अजय शर्मा<br>पिता-विश्राम शर्मा<br>ग्राम-प्रेम नगर<br>होरीलगंज, जहानाबाद,<br>पो0+थाना+जिला-जहानाबाद<br>केस फाइलनं0-सीएन/00556      | कैंसर रोग     | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार ) स्वीकृत। |
| 3       | सुरेश प्रसाद जयसवाल<br>पिता-जगदीश प्रसाद<br>ग्राम-सोनवा<br>पो0-अमवा,<br>थाना-झरोखर<br>जिला-पूर्वी चम्पारण<br>केसफाइलनं0-सीएल/14570 | कैंसर रोग     | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।   |
| 4       | अबुलैश राय<br>पिता-स्व. जुमाई राय<br>ग्राम-राय टोला नीमुई<br>पो0+थाना-सुगौली<br>जिला-पूर्वी चम्पारण<br>केसफाइलनं0-सीएम0/24319      | कैंसर रोग     | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।    |
|         |  |               | कुल ₹ 2,70,000/-                  |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- ( दो लाख सतर हजार ) रुपया का क्रास चेक सं०. 387980  
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 17.06.16

ज्ञापांक 886 (14)

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ श्री मुन्द्रिका सिंह यादव स0विस0 पता-358/400, रोड नं0-5 राजवंशी नगर पटना /सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.06.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम          | अनुदान की राशि   |
|---------|--|------------------------|--|
| 1       | 2  | 3                      | 4  |
| 1       | बिन्देश्वर महतो<br>पिता-स्व. रामजी महतो<br>ग्राम-मालीघाट कालीबाड़ी रोड<br>पो0-प्रधान डाकघर<br>थाना-मीठनपुरा<br>जिला-मुजफ्फरपुर<br>सीआरनं0-2016065131 | कैंसर रोग              | ₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।                        |
| 2       | रीना देवी<br>पति-बच्चा बाबु सिंह<br>ग्राम-पैगा सदर<br>पो0-पैगा, थाना-भेल्दी<br>जिला-सारण<br>सीआरनं0-2016018282                                       | किडनी रोग              | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।                        |
| 3       | अशोक कुमार<br>पिता-छोटे खटीक<br>ग्राम-आलमगंज<br>पो0-थाना-सासाराम<br>जिला-रोहतास<br>सीआरनं0-2016042840  | गुर्दा प्रत्यारोपण रोग | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।               |
| 4       | निशात बेगम<br>पति-रेयाज अहमद खान<br>ग्राम-नौतन बलुआ<br>पो0+थाना-नौतन<br>जिला-प0 चम्पारण<br>सीआरनं0-2014599105  | कैंसर रोग              | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।                       |
| 5       | एस0 हैदर<br>पिता-गुलाम हैदर<br>ग्राम-पो0-कुंजवा<br>थाना-बिहटा<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-2012347355   | थैलेसिनिया रोग         | विशेष परिस्थिति में<br>₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। |



|   |   |           |  |
|---|---|-----------|--|
| 6 | कलावती देवी<br>पति-रामप्रीत यादव<br>ग्राम-पो0-धनकुटवा<br>थाना-बलथर<br>जिला-प0 चम्पारण<br>सीआरनं0-2016020482                 | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।             |
| 7 | यशोदा देवी<br>पति-अवध राय<br>ग्राम+पो0-शहरकोला<br>थाना-बसंतपुर<br>जिला-सीवान<br>सीआरनं0-2016296073                          | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।             |
| 8 | राहुल कुमार<br>पिता-राजेन्द्र राय<br>ग्राम-शीतलपुर पीरगंज<br>पो0-शीतलपुर<br>थाना-दिघवारा<br>जिला-सारण<br>सीआरनं0-2016293915 | हृदय रोग  | ₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
|   |   |           | कुल ₹ 8,55,000 /-                          |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,55,000 /-( आठ लाख पचपन हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 387964 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा. शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387964 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 890(14)

पटना, दिनांक 17-06-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री सिद्धार्थ सिंह विधायक, विधायक विक्रम पटना पता-रोड नं0-8 बी राजेन्द्र नगर, पटना 800016 / श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद मंत्री गन्ना उ0 विभाग बिहार / सभी संबंधित मरीजों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.6.16  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
211.11.11